फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

अमरूदेवी बनाम लाछी वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 146/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07/07/2020	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 04 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा सगरमोणी गोदारों की ढ़ाणी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी में आई हुई है। प्रार्थीनी वकील के कथनानुसार प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि को विप्रार्थीगण बैचान, रहन करने तथा सेढा, माठ आदि तोड़ने का प्रयास करने व कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 10/08/2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा मौजा सगरमोणी गोदारों की ढ़ाणी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी के खेत खसरा नम्बर 24, 25, 411, 47, 484, 55, 56 रकबा क्रमशः 0.1942, 0.0081, 20.4192, 24.6421, 2.1600, 1.6504, 0.0971 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीनी के कब्जे व काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही भूमि का बैचान, रहन आदि करें। न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण का प्रयास करें। तथा वर्तमान मौके व राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 10/08/2020 को पेश हों। सहायक कलक्टर (एस.डी.) बायतु	

हुक्म

15/3/22

10/8/2020 पत्रावली पेश हुई। वादी/ पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 27/10/20 को पेश हो।

27/10/2020 पत्रावली पेश हुई। वादी/ पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 8/12/20 को पेश हो।

8/12/2020 पत्रावली पेश हुई। वादी/ पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/2/2021 को पेश हो।

16/2/2021 पत्रावली पेश हुई वादी/ पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 24/5/21 को पेश हो।

24/5/21 पत्रावली पेश हुई वादी/ पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 4/8/21 को पेश हो।

4/8/21 पत्रावली पेश हुई वादी/ पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 7/12/21 को पेश हो।

7/12/21 प्रार्थी वाहिद [illegible] । पत्रावली [illegible] बाद के साथ [illegible] 15/3/22 को पेश हो।

रा० आवेदन 146/2020

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.../3/22	[illegible] दर्ज हों। 21/6/22	
27/05/2022	प्रार्थिनी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी का मूल वाद जरिये Not press खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः उक्त आवेदन में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-07/07/2020 व मूल आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	